न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 06/24 दायरा दिनांक 29.07.2024

1. लटूरा पुत्र हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
2. हचिरण पुत्र हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
3. मन्नू पुत्र हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4. रामस्वरूप पुत्र हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
5. पप्पूलाल पुत्र हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– अपीलान्ट

– बनाम –

1. ग्राम पंचायत खटका जरिये सचिव ग्राम पंचायत खटका तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. गुड्डी पुत्री हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
4. तुलसा पुत्री हजारीलाल जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

– रेस्पो.

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण कमांक 641 दिनांक 30.07.1998 ग्राम सेमलीफाटक तहसील शाहाबाद अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय–दिनांक 01.08.2024

उपस्थित– अपीलाण्ट की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट

रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सेमलीफाटक में अपीलान्टस के पिता हजारीलाल पुत्र गोविन्दी जाति किराड निवासी सेमलीफाटक के खातेदारी में आराजी ख.नं. 375/870 रकबा 1.07 बीघा, ख.नं. 533 रकबा 7.15 बीघा, ख.नं. 620/928 रकबा 4.05 बीघा किता 3 कुल रकबा 13.07 बीघा कृषि भूमि स्थित है, अपीलान्टस के पिता हजारीलाल का स्वर्गवास हो चुका है, अपीलान्टस व रेस्पो. कम 3,4 तथा मृत पुनियाबाई हजारीलाल के वारिस हैं। हजारीलाल की भूमि का नामान्तरण दर्ज करते समय अपीलान्ट कम 4 का [illegible] पर रामचरण व अपीलान्ट कम 5 का नाम पप्पूलाल के स्थान [illegible] दर्ज किया गया जो सही नहीं होने से नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है। [illegible] कम 3 व 4 सहखातेदार होने से पक्षकार हैं जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष चाहा गया है तथा पुनियाबाई [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:18:23 IST
Reason: SelfAttested

01.08.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

हो चुकी है, जिसका हिस्सा अपीलान्ट तथा रेस्पो. कम 3 व 3 में समाहित हो गया है। अतः अपील पेश कर माननीय से निवेदन है कि अपीलान्टस व रेस्पो. 3,4 के पक्ष में तस्दीक किये गये नामान्तरण संख्या 641 दिनांक 30.07.1998 को निरस्त कर पुनः अपीलान्ट कम 1 ता 3 व अपीलान्ट कम 4 का नाम रामस्वरूप, कम 5 का नाम पप्पूलाल दर्ज कर रेस्पो. कम 3,4 के नाम नामान्तरण दर्ज करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पो. के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई की गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि प्रश्नगत नामान्तरण में अपीलान्ट कम 4 का नाम रामस्वरूप के स्थान पर रामचरण व अपीलान्ट कम 5 का नाम पप्पूलाल के स्थान पर सभाराम दर्ज किया गया है, जो गलत है। अपीलान्ट कम 4 व 5 के सही नाम क्या हैं और वास्तव में खातेदार हजारीलाल के वैध वारिसान कौन है, यह जांच से ही स्पष्ट हो सकता है। अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरण नंबर 641 ग्राम सेमलीफाटक दिनांक 30.07.1998 को निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृत खातेदार हजारीलाल पुत्र गोविन्दी जाति किराड निवासी सेमलीफाटक तहसील शाहावाद के वारिसान की सही जांच कर पुनः नामान्तरण दर्ज करें। नामान्तरण कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

01.08.2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2024.08.28 18:18:23 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner